हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

कार्यसूची

पंचम सत्र

वीरवार, 14 फरवरी, 2019/25 माघ, 1940(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

   (1) तारांकित :

   दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

   (2) अतारांकित :

   दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. **कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :**

   श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

   (i) हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की धारा 41 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर के वार्षिक लेखे (संपरीक्षा रिपोर्ट सहित), वर्ष 2016-17 एवं 2017-18; और

   (ii) हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिनियम, 1966 की धारा 27(1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के सूचना का अधिकार एवं प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 ।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन:

(1) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2018-19),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी :-

(i) समिति का **40वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 (राज्य के वित्त/सामाजिक सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा **वन विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का **41वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा **वन विभाग** से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति का **42वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा **वन विभाग** से सम्बन्धित है ।

(2) **श्री रमेश चन्द ध्वाला, सभापति, प्राक्कलन समिति, (वर्ष 2018-19),** समिति का **नवम् कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 33वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2017-18) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

4. विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन:

कार्य-सलाहकार समिति का षष्टम् प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) सभा में उपस्थापित किया जाएगा तथा स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भी किया जाएगा ।

5. विधायी कार्य :

सरकारी विधेयकों की पुर:स्थापना

(i) श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश राजभाषा अधिनियम, 1975 (1975 का अधिनियम संख्यांक 1) का संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

हिमाचल प्रदेश राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 2019

(2019 का विधेयक संख्यांक 4)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(ii) श्री विपिन सिंह परमार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि

हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019

(2019 का विधेयक संख्यांक 5)

हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 11) का संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

6. <u>गैर-सरकारी सदस्य कार्य</u> :

"संकल्प"

(गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों की सूची संलग्न है)

शिमला-171 004 **यशपाल शर्मा,**
दिनांक: 13 फरवरी, 2019 **सचिव ।**

****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

गैर-सरकारी सदस्य कार्य

'संकल्प'

पंचम सत्र

वीरवार, दिनांक 14 फरवरी, 2019 को चर्चा हेतु लिए जाने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों की सूची:

क्र0सं0	सदस्य का नाम	उद्धरण
1.	श्री राकेश पठानिया:	"The House may discuss Health Care Insurance Policy of Government of India and Government of Himachal Pradesh."
2.	श्री सुख राम चौधरी:	"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में नई पेयजल/सिंचाई योजनाओं को पानी लेने के लिए कई केन्द्रीय एजेन्सियों से अनापति प्रमाण पत्र लेने की छूट प्रदान करने हेतु नीति बनाने पर विचार करें ।"
3.	श्री बलबीर सिंह वर्मा: श्री राकेश सिंघा:	"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश के बागवानों/किसानों को कमीशन एजेंटों व बाहरी राज्य से आए व्यापारियों की धोखाधड़ी से बचाने हेतु सरकार ठोस नीति बनाने पर विचार करें ।"
4.	कर्नल इन्द्र सिंह:	"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि आधुनिकी युग में कम्प्यूटर के बढ़ते उपयोग व निजी विद्यालयों की तर्ज़ पर सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक स्तर से नि:शुल्क कम्प्यूटर शिक्षा देने हेतु नीति बनाने पर विचार करें ।"
दिनांक 8 फरवरी, 2019 को निम्न संकल्प पर हुई चर्चा का बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री उत्तर देंगे		
	श्री लखविन्द्र सिंह राणा:	"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि बढ़ती बिजली की खपत को देखते हुए सौर ऊर्जा नीति पर विचार करें ।"

सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा ।

* * *